210

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 पुनरावलोकन – रिव्यू 4089-II/12

रामकृष्ण दत्तक पुत्र स्व0 भगवानदास
निवासी डाक बंगला के पास, पिछोर
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म0प्र0
—— आवेदक

विरूद्ध

1. हेमलता पत्नी बृजेश कुमार द्वारा मुख्त्यार
आम पिता हरीशंकर पुत्र बैजनाथ निवासी
संकट मोचक कॉलोनी, पिछोर तहसील
पिछोर जिला शिवपुरी म0प्र0

2. म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण

श्री एम. के.सिंह सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्र0क0अपील 2216-तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2012 के विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा–51 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधार पर पुनरावलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में ऐसी त्रुटियां भी है जो प्रकरण के सम्पूर्ण अभिलेख को देखने मात्र से स्पष्ट होती है, उनके लिये अभिलेख के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा वे आदेश के पुनरावलोकन के लिये पर्याप्त आधार निर्मित करती है.

2. यह कि, विवादित आदेश की प्रथम त्रुटि यह है कि उसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का वर्णन अवश्य किया गया है परन्तु उन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है प्रकरण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निराकरण नही किया जाना पुनरावलोकन का उचित आधार है.

3. यह कि, आवेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि तहसील न्यायालय ने नामांतरण आवेदन पर मूल आदेश पारित किया था तहसील के आदेश अपील योग्य आदेश था परन्तु कलेक्टर ने जन सुनवाई में दिये गये आवेदन पर तहसीलदार के ऐसे आदेश को अपास्त कर दिया विधि के प्रावधान अर्थात संहिता के अंतर्गत पारित न्यायालीन आदेश को जन सुनवाई में अपास्त करने का कलेक्टर का आदेश शून्य था इस बिन्दु पर विवादित आदेश कोई निर्णय नहीं दिया गया.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 4089–एक/16 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१२-११-१६	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक अपील 2216–तीन/12 में पारित आदेश दिनांक 25–9–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	